वर्ष 2018 के लिए कर्मचारी 'क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923' की रिपोर्ट

1. परिचय

कर्मचारी 'क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 जिसका उद्देश्य कर्मचारी और/या उनके आश्रितों को रोजगार से उत्पन्न और रोजगार के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं और उनके कारण कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता के मामले में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है,1 जुलाई,1924 से लागू हुआ। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में कर्मचारियों को उनके रोजगार के दौरान अनुबंधित कुछ व्यावसायिक रोगों के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का भी प्रावधान है।
श्रम ब्यूरो हर वर्ष राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त विवरणियों के आधार पर अधिनियम की कार्यप्रणाली पर समीक्षा / रिपोर्ट प्रकाशित करता है। वर्तमान रिपोर्ट वर्ष 2018से संबंधित है।

2. अधिनियम के मुख्य प्रावधान एवं कार्य क्षेत्र

2 .1 अधिनियम का विस्तार पूरे भारत में है और अधिनियम की अनुसूची ॥ में निर्दिष्ट किसी भी क्षमता में कार्यरत श्रमिकों पर लागू होता है जिसमें कारखानों , खान, बागान, यांत्रिक वाहन, निर्माण कार्य और कुछ अन्य खतरनाक व्यवसाय और रेलवे कर्मचारियों की निर्दिष्ट श्रेणियां शामिल हैं। हालांकि , यह सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले (i) व्यक्तियों और (ii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 द्वारा कवर किए गए श्रमिकों पर लागू नहीं होता है।
2.2 राज्य सरकारें इस अधिनियम के प्रावधानों को निर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए नियुक्त आयुक्तों के माध्यम से संचालित करती हैं। इस प्रकार नियुक्त किए गए आयुक्तों को (i) विवादित दावों के निपटा रे(ii) मृत्यु एवं चोटों के मामलों के निपटान , और (iii) आवधिक भुगतानों का पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त हैं। आयुक्त को एक महीने के भीतर घायल श्रमिकों को देय क्षतिपूर्ति देने में विफल नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाने का भी अधिकार है।
2.3 अधिनियम की धारा 2 की उप-धारा (3) , राज्य सरकारों को अधिनियम के दायरे को ऐसे किसी भी वर्ग के लोगों तक, जिनके व्यवसाय को खतरनाक माना जाता है, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के लिये तीन महीने का नोटिस देने के बाद बढ़ाने का अधिकार देती है। इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत, राज्य सरकारें भी अधिनियम की अनुसूची- ।।। के भाग ए और बी में और केंद्र सरकार के भाग सी में उल्लिखित सूची में किसी अन्य बीमारी को जोड़ने के लिए सक्षम हैं।
2.4 किसी कर्मचारी को देय क्षतिपूर्ति की राशि दुर्घटना की वजह से लगी चोट की प्रकृति , मासिक वेतन और संबंधित कर्मचारी की आयु पर निर्भर करती है। मृत्यु के मामले में , निर्धारित मुआवजे की न्यूनतम राशि 1,20,000 रू है, जबकि स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में यह 1 ,40,000 रुपये है। क्षतिपूर्ति की ये बढ़ी हुई दरें 18 जनवरी 2010 से लागू हुई हैं।क्षतिपूर्ति की गणना के लिए मजदूरी की उच्चतम सीमा को दिनांक 31.05.2010 से रु 4000 / - से बढ़ाकर रु 8000 / - प्रति माह कर दिया गया है।
2.5 क्षतिपूर्ति के लिए नियोक्ता की ज़िम्मेदारी : अगर किसी कर्मचारी को उसके रोजगार से उत्पन्न तथा रोजगार के दौरान होने वाली दुर्घटना के कारण व्यक्तिगत चोट लगती है , उसके नियोक्ता अध्याय -।। के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे :
नियोक्ता तब उत्तरदायी नहीं होगा बशर्ते कि -

(क) किसी भी ऐसी क्षति के संबंध में जो श्रमिक को तीन दिनों से अधिक की अवधि के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से अक्षम न बना दे ,
(ख)ऐसी क्षति के संबंध में जो मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता का कारण न बनी हो जो शराब और दवाओं के प्रभाव,आदेश या नियम के प्रतिकर्मचारियों द्वारा जानबूझकर अवहेलना करने , किसी भी सुरक्षा उपायों या अन्य उपकरण को कर्मचारियों द्वारा जान-बूझकर हटाने या अवहेलना करने आदि की वजह से सीधे तौर पर कर्मचारी की गलती से होने वाली दुर्घटनाओं के कारण हुई हो |इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत ऐसे श्रमिकों को भी क्षतिपूर्ति की जाती है जो अपने रोजगार के दौरान, अधिनियम की अनुसूची- ।।। में यथानिर्दिष्ट व्यावसायिक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं।

3. क्षतिपूर्ति प्राप्त दुर्घटनाओं की संख्या और क्षतिपूर्ति भुगतान राशि

3.1 वर्ष 2016से 2018के लिए अखिल भारतीय स्तर पर रिटर्न प्रस्तुत करने वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आधार पर क्षतिपूर्ति किये जाने वाली दुर्घटनाओं की कुल संख्या और भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि तालिका -1 में प्रस्तुत की गई है। वर्ष 201 8 के दौरान, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा लगभग 3145क्षतिपूर्ति किये जाने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु , स्थायी विकलांगता, और अस्थायी विकलांगता की सूचना दी गई थी और मुआवजे के रूप में रु.12126.2 लाख का भुगतान किया गया। कुल क्षतिपूर्ति किये जाने वाली दुर्घटनाओं में से, 55.65% घातक दुर्घटनाएं थीं, 32.02% स्थायी विकलांगता से संबंधित थीं और 12.21% अस्थायी विकलांगता के मामले थे।

तालिका-1

क्षतिपूर्ति किये जाने वाली दुर्घटनाओं की संख्या और रिटर्न भेजने वाले प्रतिष्ठानों द्वारा भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि

वर्ष	रिटर्न जमा करने वाले प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या	क्षतिपूर्ति किये जाने वाली दुर्घटनाओं की संख्या जिसके निम्नलिखित परिणाम हुए				प्रदत्त क्षतिपूर्ति की राशि (लाख में)			
		मृत्यु	स्थायी विकलांगता	अस्थाई विकलांगता	कुल	मृत्यु	स्थायी विकलांगता	अस्थाई विकलांगता	कुल
2016	3538053	2392 (43.59)	1651 (30.09)	1444 (26.32)	5487 (100.00)	11465.51	3446.83	1044.97	15957.31
2017	2939814	1894 (38.01)	1591 (31.93)	1498 (30.06)	4983 (100.00)	10745.73	3586.82	905.3	15237.85
2018	36733981	1754 (55.65)	1007 (32.02)	384 (12.21)	3145 (100.00)	8938.4	2603.71	584.09	12126.2

नोट: कोष्ठक के आंकड़े मुआवजे के मामलों की कुल संख्या में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

3 .2 वर्ष 2018 के दौरान उद्योग / प्रतिष्ठान वार क्षतिपूर्ति वाली दुर्घटनाओं की संख्या और भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि तालिका - 2 में दी गई है। कुल क्षतिपूर्ति प्राप्त दुर्घटनाओं में से , विविध में उच्चतम यानी 48.19% और उसके बाद कारखानों में 31 .11% और रेलवे में 8 .58% हैं। जबकि क्षतिपूर्ति के भुगतान के मामले में , विविध में 46 .49% की अधिकतम हिस्सेदारी है , इसके बाद कारखानों में 21.73% और रेलवे में 16.99% है।

तालिका 2

वर्ष 2018 के दौरान क्षतिपूर्ति देय दुर्घटनाओं की संख्या और रिटर्न भेजने वाले प्रतिष्ठानों द्वारा भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि

प्रतिष्ठान	रिटर्न जमा करने वाले प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या	क्षतिपूर्ति किये जाने वाली दुर्घटनाओं की संख्या जिसके निम्नलिखित परिणाम हुए				प्रदत्त क्षतिपूर्ति की राशि (लाख में)			
		मृत्यु	स्थायी विकलांगता	अस्थाई विकलांगता	कुल	मृत्यु	स्थायी विकलांगता	अस्थाई विकलांगता	कुल
कारखाना	864797	480	324	146	950 (31.1)	1662.39 (13.71)	782.88 (6.46)	189.8 (1.57)	2635.07 (21.73)
वृक्षारोपण	33494356	40	29	74	143 (4.68)	172.81 (1.43)	84.49 (0.70)	28.08 (0.23)	285.38 (2.35)
खानों	12627	15	-	-	15 (0.49)	41.63 (0.34)	-	-	41.63 (0.34)
पोर्ट और डॉक्स	5688	4	2	2	8 (0.26)	59.54 (0.49)	6.5 (0.05)	3.55 (0.03)	69.59 (0.57)
ट्रामवेज	2671	56	25	-	81 (2.65)	415.31 (3.42)	106.71 (0.88)	-	522.02 (4.30)
भवन और निर्माण	123718	156	25	3	184 (6.03)	761.43 (6.28)	102.3 (0.84)	3.39 (0.03)	867.12 (7.15)
नगर पालिका	883393	1	-	-	1 (0.03)	7.53 (0.06)	-	-	7.53 (0.06)
विविध	500753	810	532	159	1501 (49.1)	4009.83 (33.07)	1357.76 (11.20)	270.15 (2.23)	5637.74 (46.49)
रेलवे	845978	192	70	-	262 (8.58)	1807.93 (14.91)	163.07 (1.34)	89.12 (0.73)	2060.12 (16.99)
सभी प्रतिष्ठान	36733981	1754 (55.77)	1007 (32.02)	384 (12.21)	3145 (100.00)	8938.40 (73.71)	2603.71 (21.47)	584.09 (4.82)	12126.2 (100.00)

कोष्ठक में आंकड़े सभी प्रतिष्ठानों के कुल प्रतिशत में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
+ आंशिक रूप से प्राप्त डेटा , - शून्य, आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारणकुल प्रतिशत संभवतः न मिले।

3.3विवरणी जमा करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2018 के दौरान क्षतिपूर्ति की जाने वाली दुर्घटनाओं की संख्या और भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि तालिका -3 में प्रस्तुत की गई है।गुजरात में सबसे अधिक क्षतिपूर्ति के मामले)843) दर्ज किए गए, उसके बाद कर्नाटक)493) और केरल)463) का स्थान है।प्रति मामले में भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की औसत राशि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)8.52 लाख में सबसे अधिक थी (, इसके बाद उत्तर प्रदेश)6.46 लाख रुपये और गोवा (में)6.18 लाख (रिपोर्ट की गयी।

तालिका-3
2018 के दौरान क्षतिपूर्ति की गयी दुर्घटनाएं और भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि

राज्य/संघ शासित प्रदेश	विवरणी जमा करने वाले प्रतिष्ठानों में नियोजित श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या +	दुर्घटनाओं के बाद क्षतिपूर्ति किये जाने वाले मामलों की संख्या				भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की राशि (लाख रू में)			
		मृत्यु	स्थायी अशक्ता	अस्थाई अशक्ता	कुल	मृत्यु	स्थायी अशक्ता	अस्थाई अशक्ता	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 असम	33477016	123	37	18	**178**	814.78	163.49	30.36	**1008.63**
						(6.62)	(4.42)	(1.69)	**(5.67)**
2 गोवा	8625	11	1	-	**12**	73.66	0.52	-	**74.18**
						(6.70)	(0.52)	-	**(6.18)**
3 गुजरात^	0	479	263	101	**843**	1285.08	559.25	61.53	**1905.86**
						(2.68)	(2.13)	(0.61)	**(2.26)**
4 हरियाणा	217913	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
5 हिमाचल प्रदेश	28969	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
6 जम्मू एवं कश्मीर	43944	134	78	15	**227**	752.86	347.76	25.93	**1126.54**
						(5.62)	(4.46)	(1.73)	**(4.96)**
7 कर्नाटक	29854	176	215	102	**493**	928.43	418.68	246.61	**1593.72**
						(5.28)	(1.95)	(2.42)	**(3.23)**
8 केरल	124286	172	166	125	**463**	959.13	410.37	120.47	**1489.97**
						(5.58)	(2.47)	(0.96)	**(3.22)**
9 मध्य प्रदेश^	1345.14	152	36	-	**188**	493.12	124.72	-	**617.84**
						(3.24)	(3.46)		**(3.29)**
10 महाराष्ट्र	295980	14	6	15	**35**	56.67	13.91	4.77	**75.34**
						(4.05)	(2.32)	(0.32)	**(2.15)**
11 ओडिशा	56577	23	24	1	**48**	81.98	37.97	0.93	**220.08**
						(3.56)	(1.58)	(0.04)	**(4.58)**
12 राजस्थान	38380	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
13 तमिलनाडु	1184693	3	4	2	**9**	10.41	5.80	0.11	**16.32**
						(3.47)	(1.45)	(0.05)	**(1.81)**
14 तेलंगाना	-	75	8	-	**83**	204.95	41.56	-	**246.51**
						(2.73)	(5.19)		**(2.97)**
15 त्रिपुरा	7823	-	-	1	**1**	-	-	-	**-**
16 उत्तर प्रदेश^	287615	71	3	-	**74**	473.06	4.99	-	**478.05**
						(6.66)	(1.66)		**(6.46)**
17 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	24507	7	-	1	**8**	67.92	0.24	-	**68.16**
						(9.70)			**(8.52)**
18 चंडीगढ़#	-	5	-	2	**7**	40.08	-	3.66	**43.74**
						(8.02)		(1.83)	**(6.25)**
19 दमन और दीव	27719	4	15	-	**19**	29.49	75.63	-	**105.12**
						(7.37)	(5.04)		**(5.53)**
20 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	-	113	81	1	**195**	858.86	235.76	0.59	**1095.20**
						(7.60)	(2.91)	(0.59)	**(5.62)**
21 पुदुचेरी	32757	-	-	-	**-**	-	-	-	**-**
कुल	**35888003.14**	**1562**	**937**	**384**	**2883**	**7130.47**	**2440.63**	**494.96**	**7176.59**
रेलवे	845978	192	70	-	262	1807.93	163.07	89.12	2060.12
कुल योग	**36733981**	**1754**	**1007**	**384**	**3145**	**8938.39**	**2603.70**	**584**	**9236.71**

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े प्रति मामलें में भुगतान किये गये औसत क्षतिपूर्ति को दशति हैं।

^:/आंशिक रूप से प्राप्त जानकारी, -शून्य, #ईएसआईसी के तहत कवर किया गया

.

4. व्यावसायिक रोग

जैसा कि पहले कहा गया है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 में कुछ व्यावसायिक बीमारियों के मामलों में भी क्षतिपूर्ति देने का प्रावधान है। डेटा आंशिक रूप से रिपोर्ट किया गया है. विवरण तालिका 4 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 4

व्यावसायिकरोग, क्षतिपूर्तिकेमामलेऔर2018 केदौरानभुगतानकीगईक्षतिपूर्तिकीराशि

राज्य	ग की प्रकृति	व्यावसायिक रोगों के परिणास्वरूप निम्नलिखित आधार पर क्षतिपूर्ति दिये गये मामलों की संख्या				भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति की राशि @ (लाख रूपये में)			
		मृत्यु	स्थायी अशक्ता	अस्थाई अशक्ता	कुल	मृत्यु	स्थायी अशक्ता	अस्थाई अशक्ता	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कर्नाटक	+	22	15	9	**46**	38.36	237.34	5.30	**280.99**
						(1.74)	(15.82)	(0.59)	**(6.11)**
मध्य प्रदेश	+	187	81	23	**457**	493.62	176.29	29.75	**699.66**
						(2.64)	(2.18)	(1.29)	**(1.53)**
उत्तर प्रदेश	+	38	27	55	**120**	112.31	70.16	128.33	**310.80**
						(2.96)	(2.60)	(2.33)	**(2.59)**
	166	**247**	**123**	**87**	**623**	**644.29**	**483.79**	**163.37**	**1291.45**
						(2.61)	(3.93)	(1.88)	**(2.07)**

@ कोष्ठक में दिये गये आँकड़ें प्रति मामले में भुगतान किये गये औसत क्षतिपूर्ति को दर्शाते हैं

+रोग की प्रकृति राज्यों द्वारा रिपोर्ट नहीं की गयी है।

5. कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिये आयुक्तों द्वारा निपटाए गये मामलें

5.1इस अधिनियम को अधिनियम की धारा 20 के तहत संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा नियुक्त कर्मचारी क्षतिपूर्ति के आयुक्तों द्वारा प्रशासित किया जाता है। तालिका- 52018 के दौरान कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 की विभिन्न धाराओं के तहत कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्तों द्वारा निपटाए गये मामले की संख्या दर्शाती है । वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 7, 8 और 10 के तहत, वर्ष के अंत में कुल 52634 मामले लंबित थे और 1067731 मामले दर्ज किये गये और वर्ष के दौरान 1068972 मामलों का निपटारा किया गया। पिछले वर्ष से लंबित मामलों की कुल संख्या 54834 थी।

तालिक-5

2018 के दौरान श्रमिकों को क्षतिपूर्ति के लिये आयुक्तों द्वारा निपटाए मामलो की संख्या

मद	वर्ष की शुरुआत में लंबित मामलो की संख्या	वर्ष के दौरान निपटान के लिये आयुक्तों से प्राप्त मामलों सहति दर्ज किये गये मामलों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाए मामलों की कुल संख्या, जिसमें निपटान के लिये दूसरों को हस्तांतरित किये गये मामले भी शामिल हैं।	वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5
(a) धारा 7 के तहत क्षतिपूर्ति	2828	1049483	1049746	2565
(b) धारा 8 के तहत जमा	6947	2600	2040	7507
(c) धारा 10 के तहत क्षतिपूर्ति देना	44100	15648	17186	42562
कुल	**53875**	**1067731**	**1068972**	**52634**

विछले वर्षों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की अलग-अलग प्रतिक्रिया के कारण आँकड़ें पूरी तरह से तुलनीय नहीं हो सकते। डेटा के समावेशन/संशोधन/चूक के कारण आरंभिक शेष पिछले वर्ष के समापन शेष से मेल नहीं खा सकता है।

5.2अधिनियम की धारा 8 नियोक्ताओं के लिए घातक दुर्घटनाओं के मामलों में देय क्षतिपूर्ति की राशि या कानूनी विकलांगता के तहत किसी महिला या व्यक्ति को देय क्षतिपूर्ति की एकमुश्त राशि आयुक्त के पास संवितरण के लिए जमा करना अनिवार्य है। वर्ष 2018 के लिए रेलवे को छोड़कर विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत ऐसी जमा और संवितरण से संबंधित डेटा तालिका - 6 में प्रस्तुत किया गया है। तालिका से देखा जा सकता है कि सबसे अधिक जमा राशि (925584227 रुपये) तेलंगाना में थी , उसके बाद महाराष्ट्र (772571369.9 रुपये) और तमिलनाडु (750568122 रुपये) और सबसे अधिक संवितरण राशि(672482983.4 रुपये) महाराष्ट्र में थी, उसके बाद तमिलनाडु (643497682 रूपये) और उत्तर प्रदेश (रु. 534860667) का स्थान है।

तालिका-6

2018 केदौरानकर्मचारीक्षतिपूर्तिअधिनियम, 1923 कीधारा8 केतहतजमाऔरसंवितरण (रुपयेमें)

	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	प्रारंभिक शेष	जमा	संवितरण	नियोक्ताओं को प्रतिदेय राशि	समापन राशि (कॉलम 2+3-4-5)
	1	2	3	4	5	6
1	असम	51643597	126469110	125123060	-	52989647
2	गोवा	2811183	7924758	7417430	-	3318511
3	गुजरात	23197865	339601126	328765712	-	34033279
4	हरियाणा	245645083	298465000	287160857	-	256949226
5	हिमाचल प्रदेश	31863603	26919855	7596653	1283720	49903085
6	जम्मू एवं कश्मीर	46080000	141005100	119153700	2877190	65054210
7	कर्नाटक	253069806	487392587	423317992	7796215	309348186
8	केरल	230967680	310311859	226959514	8966025	305354000
9	मध्य प्रदेश	69807727.94	273515019	254799320	241200	88282226.94
10	महाराष्ट्र	620662572	772571369.9	672482983.4	21031733	699719225.5
11	ओडिशा	212778589	648348296	205992394	23230052	631904439
12	राजस्थान	192104998	583223696	381775547	-	393553147
13	तमिलनाडु	714117889	750568122	643497682	1549846	819638483
14	तेलंगाना	351503816	925584227	349737105	132598	927218340
15	त्रिपुरा	-	-	-	-	-
16	उतर प्रदेश	210426233	610907363	534860667	1	286472928
17	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4037392	5391800	6815800	-	2613392
18	चंडीगढ़	4824108	6135534	4692534	-	6267108
19	दमन और दीव	6115304	8242551	10511650	-	3846205
20	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	*	*	*	*	*
21	पुदुचेरी	2327533	2183033	3880414	-	630152
	कुल	**3273984979**	**6324760406**	**4594541014**	**67108580**	**4937095790**

डेटा में संशोधन/जोड़ने/हटाने के कारण कुछ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का पिछले वर्ष का समापन शेष चालू वर्ष के प्रारंभिक शेष से मेल नहीं खा सकता है।
- शून्य, * डेटा असंगत।

5.3 वर्ष 2018 के दौरान अपीलों की संख्या एवं उनके निपटान की सूचना तालिका- 7 में दर्शाई गई है। द र्ज की गई अपीलों की अधिकतम संख्या कर्नाटक (832) में थी और साथ ही निपटाई गई अपीलें भी कर्नाटक राज्य (513) में थीं। वर्ष के अंत में लंबित 11760 अपीलों में से, कर्नाटक में सबसे अधिक संख्या (3611) है, इसके बाद ओडिशा (2309) और असम (1569) मेंहैं।

तालिका-7

2018 के दौरान सभी प्रतिष्ठानों में अपीलों की संख्या

	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	वर्ष की शुरूआत में लंबित मामलों की संख्या	भरा हुआ/प्राप्त	निपटान किया गया	वर्ष के अंत में लंबित
	1	2	3	4	5
1	असम	1561	28	20	1569
2	गोवा	-	11	11	-
3	गुजरात	327	18	10	335
4	हरियाणा	174	50	21	203
5	हिमाचल प्रदेश	53	2	2	53
6	जम्मू एवं कश्मीर	172	57	53	176
7	कर्नाटक	3292	832	513	3611
8	केरल	406	52	63	395
9	मध्य प्रदेश	812	412	224	1000
10	महाराष्ट्र	681	172	177	676
11	ओडिशा	2082	514	287	2309
12	राजस्थान	173	49	24	198
13	तमिलनाडु	507	77	99	485
14	तेलंगाना	670	55	183	542
15	त्रिपुरा	1	2	-	3
16	उतर प्रदेश	160	36	28	168
17	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-
18	चंडीगढ़	25	17	8	34
19	दमन और दीव	-	-	-	-
20	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	5	-	2	3
	कुल	**11101**	**2384**	**1725**	**11760**

डेटा में संशोधन/जोड़ने/हटाने के कारण कुछ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का पिछले वर्ष का समापन शेष चालू वर्ष के प्रारंभिक शेष से मेल नहीं खा सकता है।

6. **सांख्यिकी की सीमाएँ**

कई राज्यों अनुस्मारक भेजेने के बावजूद अपना वार्षिक विवरणी जमा नहीं की, जबकि कुछ राज्यों ने त्रुटिपूर्ण विवरणी जमा की और/या बहुत प्रयासों के बावजूद श्रम ब्यूरो को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सके। अपर्याप्त प्रतिक्रिया वाले राज्यों का उल्लेख नीचे दिया गया है:

जिनसे वार्षिक विवरणी प्राप्त नहीं हुई	वार्षिक रिटर्न प्राप्त हुआ लेकिन दोषपूर्ण/आंशिक/असंगत
1. आंध्र प्रदेश	1.बिहार (संपूर्ण विवरणी त्रुटिपूर्ण)
2. छत्तीसगढ़	2. असम
3. नगालैंड	3. मध्य प्रदेश
4. पश्चिम बंगाल	4. महाराष्ट्र
5. झारखंड	5. ओडिशा
6. मणिपुर	6.पुड्डुचेरी
7. पंजाब	7. एनसीटी दिल्ली
8. सिक्किम और	8. उत्तराखंड (संपूर्ण विवरणी त्रुटिपूर्ण)
9. दादर एवं नगर हवेली	9. गुजरात

अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप ने वार्षिक रिटर्न में शून्य (-) डेटा प्रस्तुत किया। इसे देखते हुए, साल-दर-साल अलग-अलग होने के कारण रिपोर्ट में अखिल भारतीय आंकड़े सही रूप में तुलनीय नहीं हो सकते हैं।